(180)

संख्या–530 /XV-2/6(20)/2004

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
मत्स्य विभाग, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी)
रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)।
2. सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09, अगस्त, 2012:

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबंध व्यवस्था के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–327/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 18 जुलाई, 2008 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड स्थित जलाशयों की प्रबंध व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. उत्तराखण्ड में स्थित छः जलाशय कमशः नानक सागर जलाशय, धौरा जलाशय, तुमरिया जलाशय, बैगुल जलाशय एवं हरिपुरा जलाशय की मत्स्य पालन एवं प्रबंध व्यवस्था मत्स्य विभाग एवं मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा की जायेगी।
2. मत्स्य शिकारमाही प्रकिया/उत्तराखण्ड स्थित जलाशयों की प्रबंध व्यवस्था में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मत्स्य शिकारमाही हेतु ठेका निविदा पद्धति से कराया जायेगा।
3. निविदाएं आमंत्रित करने की सूचनाएं व्यापक प्रचार–प्रसार वाले स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त दूरसंचार एवं अन्य प्रचलित माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा पूर्व के ठेकेदारों को पृथक से लिखित रूप से सूचित भी किया जायेगा।
4. जलाशयों के ठेके की अवधि 5 (पॉच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 01 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। सील बन्द निविदाएं मुख्यालय देहरादून में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अथवा निविदाताओं द्वारा स्वंय डालकर प्राप्त की जायेंगी तथा ये निविदायें गठित समिति के समक्ष खोली जायेंगी। समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
5. मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को पृथक से कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।
6. निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र, धरोहर की धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र तथा 100 रू0 का स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, ऐसा प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा को नहीं खोला जायेगा एवं उन निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

कमशः2

7. बौर तथा हरिपुरा जलाशय एक दूसरे से जुड़े होने के कारण उनकी संयुक्त नीलामी की जायेगी।
8. उच्चतम् निविदादाता द्वारा स्वीकृत निविदा धनराशि की 25 प्रतिशत का भुगतान प्रथम वर्ष में तत्काल बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद रूप में किया जायेगा। शेष 75 प्रतिशत का भुगतान सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक तीन समान किश्तों में करना अनिवार्य होगा।
9. निविदाओं को खोले जाने तथा इन पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय हेतु निम्नलिखित समिति होगी :–

(अ)	सचिव, मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन	–	**अध्यक्ष**
(ब)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	–	**सदस्य**
(स)	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	–	**सदस्य**
(द)	निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	–	**सदस्य**
(य)	निदेशक / सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	–	**सदस्य सचिव**

उपरोक्त समिति की संस्तुति के आधार पर जलाशयों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश शासन की स्वीकृति के उपरान्त निदेशक मत्स्य द्वारा निर्गत किया जायेगा।

10. अनुबन्ध की शर्तें इस शासनादेश के साथ संलग्न संलग्नक के अनुसार होगी।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रगति से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
/
(आर0सी0पाठक)
सचिव

संख्या–530(1)/XV-2/6(20)2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–530/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 09, अगस्त, 2012 का संलग्नक

अनुबन्ध की शर्तें

1. जलाशयों के ठेके की अवधि पांच वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृत की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। प्रत्येक वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्वि ठेकेदार द्वारा देय होगी।
2. उच्चतम बोली/टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत की जायेगी तथा तदनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र निविदाकर्ता व सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के द्वारा निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति अभिकरण की अभिरक्षा में रखी जायेगी। अनुबन्ध पत्र में किश्त जमा करने के पूर्ण विवरण की प्रविष्टि समय सारिणी सहित सुनिश्चित की जायेगी।
4. निविदा डालते समय निविदा के साथ आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, तथा सफल निविदादाता को निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा। 25 प्रतिशत धनराशि जमा न कर पाने की दशा में अग्रिम की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। पॉच वर्षो की कुल निविदा धनराशि का 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से अनुबन्ध पत्र सहित, सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून की उपस्थिति में जमा किया जायेगा।
5. टैण्डर सह नीलामी पूर्ण होने पर निविदा/उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्थल पर तत्काल ही जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त में अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय वर्ष के लिए ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ष के लिए तृतीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा पंचम वर्ष के लिए चतुर्थ वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि की वृद्वि ठेकेदार द्वारा देय होगी। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित

समय सारणी के अनुसार ठेकेदार को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक, तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

6. निविदा स्वीकृति से पूर्व ठेके की एक वर्ष की धनराशि के बराबर धनराशि निविदादाता ठेकेदार द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सचिव, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें जमा किया जायेगा और अगले वर्ष शिकारमाही की अनुमति बैंक गारण्टी की उक्त धनराशि के जमा करने के उपरान्त ही दी जायेगी और यदि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष ठेके की निर्धारित किस्तों का भुगतान निर्धारित समय सारणी में किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु समायोजित किया जायेगा और इस प्रकार समायोजित बैंक गारण्टी की धनराशि के अतिरिक्त आगामी वर्ष में ठेकेदार द्वारा मात्र आगामी वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की देय वृद्धि के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी उक्तानुसार जमा की जानी होगी।

7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 30 जून, 30 सितम्बर, 30 दिसम्बर एवं 31 मार्च को निर्धारित किस्त जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामे राष्ट्रीकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से उक्त लम्बित किस्त का समायोजन किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश को हो तो उसके ठीक दूसरे दिन, प्रत्येक दशा में किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित जलाशय प्रभारी, अधिशासी प्रबंधक व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक एवं उप निदेशक का होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो शासकीय धन की क्षति के लिए उत्तरदायी मानते हुए सम्बन्धित प्रभारी, अधिशासी प्रबंधक एवं सहायक निदेशक व उपनिदेशक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी और इस तथ्य या उल्लेख उसकी आगामी वर्ष की चरित्र पंजिका में भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

8. ठेकेदार/समिति को अनुबंध के समय पांच वर्षों की नीलामी की कुल धनराशि की पांच प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी।

9. ठेकेदार/समिति को अनुबन्ध के अनुसार पूरे पांच वर्षों तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा मध्य में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि घरोहर धनराशि जब्त करने के उपरान्त भी ठेकेदार/समिति पर ठेके की देय धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर किया जायेगा।

10. यदि किसी ठेकेदार पर ठके से सम्बन्धित कोई धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू–राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग को होगा।

11. सम्बन्धित जलाशयों के मत्स्य प्रभारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन हेतु नियंत्रक अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य तथा उपनिदेशक मत्स्य होंगे।

12. सम्बन्धित ठेकेदार समिति/सरकार द्वारा नियत मानकानुसार ही एक सप्ताह/एक माह में मछलियों का शिकार कर सकेगा।

13. ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारी के समक्ष मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष किश्तों के साथ जमा किया जायेगा।

14. संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में ठेकेदार द्वारा जलाशयों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती धरोहर धनराशि से की जायेगी। यदि जलाशयों की सम्पत्ति को पहुचाई गई हानि की धनराशि धरोहर धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित किया जायेगा।

15. ठेकेदार द्वारा शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही उपयोग किया जायेगा, जिससे कि एक कि0ग्रा0 भार से कम की सिल्वर कार्प, भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प/कार्प महाशीर की मछलियों को कोई क्षति न हो।

16. जलाशयों में शिकारमाही 01 जुलाई से 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी, इसके उल्लंघन करने पर शिकारमाही की गई मछली का मूल्य व आर्थिक दण्ड के रूप में रू0 100/– प्रति किलोग्राम सहित सम्बन्धित ठेकेदार से तत्काल वसूल किया जायेगा। यदि इनकी मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक होगी तो अनुबंध निरस्त किये जाने पर भी सचिव अभिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

17. शासन/अभिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा किसी भी शर्तों/प्रतिबंधों के उल्लघंन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए शिकारमाही तत्काल बन्द कर दी जायेगी और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर किया जायेगा।

18. जलाशय पर रखी गई किसी अन्य स्थान की मछली भी उसी जलाशय विशेष की मछली समझी जायेगी।

19. शासन के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा शिकारमाही मछली की जांच जलाशय के किनारे उसके गोदाम या रास्ते में कर सकते है। संदेह एवं असंतोषजनक स्थिति में मछली तत्काल जब्त की जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी जलाशयों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित ठेकेदार पर रू0 25000/–तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।

20. ठेकेदार द्वारा ठेके की अवधि में जलाशय व उसके आस–पास के वातावरण की कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी।

21. विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

22. ठेकेदार यदि किसी कारणवश शिकारमाही बन्द करता है तो उसकी सूचना जलाशय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

23. ठेकेदार अनुबन्ध निष्पादित करते समय अपने–अपने प्रतिनिधियों के हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र, 100 रू0 का स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित) तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करेंगे।

24. पंजीकृत सहकारी समिति को गत वर्ष में लाभ–हानि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि, समिति की वित्तीय स्थिति, समिति द्वारा शर्तनामा भरने, धनराशि जमा करने, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा विभाग से पत्राचार करने हेतु अधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी के संबंध में समिति की बैठक के तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी तथा समिति द्वारा दो–दो प्रतिनिधियों के नामों का प्रस्ताव फोटो सहित सत्यापित कर प्रस्तुत की जायेगी।

25. ठेकेदार द्वारा मजदूरी पर रखे गये शिकारियों को आज्ञा पत्र निर्गत करने, निरीक्षण करने तथा निरस्त करने का अधिकार जलाशय पर पदस्थ विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

26. ठेकेदार को प्रतिदिन शिकारमाही की गई मछली निर्धारित स्थल पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित समय पर तौलनी होगी और तौली गई मछली हेतु चालान की प्रति पर ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को भी प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होंगे।

27. सिंचाई विभाग व वन विभाग की सड़कों का उपयोग करने के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुमति स्वंय ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जायेगी।

28. शिकारमाही जलाशय के सभी स्तरों पर करनी होगी, पानी का स्तर घटाने या बढ़ाने की कोई भी प्रार्थना मत्स्य विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। जलाशयों में उपलब्ध जलीय वनस्पति की स्थिति के प्रति भी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

29. मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत–संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कैनिंग इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु ठेकेदार को पूर्ण सहयोग करना होगा।

30. ठेकेदार और उसके प्रतिनिधि विभागों की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायेंगे तथा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।

31. निविदा की धनराशि का एक प्रतिशत जलाशयों के अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा।

32. इस प्रपत्र में उल्लिखित उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का भाग समझी जायेंगी।

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।